मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 114
22.07.2024 को उत्तर के लिए

मैंग्रोव वनों का संरक्षण

114. श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मैंग्रोव वनों को एक अद्वितीय, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बढ़ावा देने, इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश के विभिन्न समुद्र तटों पर मैंग्रोव वनों को लोगों द्वारा नष्ट किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मैंग्रोव वनों को नष्ट करने वालों से निपटने के लिए कोई कड़े नियम और विनियम बनाए गए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ङ) क्या सरकार मैंग्रोव के बरकरार रखने/इनके पुनर्वनीकरण के लिए किसी ठोस योजना पर विचार कर रही है और क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) सरकार देश में मैंग्रोव आवरण को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के साथ-साथ विनियामक उपायों के माध्यम से कई कदम उठा रही है। 'मैंग्रोव और कोरल रीफ के संरक्षण और प्रबंधन' योजना के तहत नौ तटीय राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 38 स्थलों की पहचान करके इन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अभिज्ञात किए गए स्थलों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। विनियामक उपायों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत तटीय विनियामक क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना (2019); वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; भारतीय वन अधिनियम, 1927; जैव विविधता अधिनियम, 2002; तथा इन अधिनियमों के अंतर्गत समय-समय पर यथा-संशोधित नियमों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

महाराष्ट्र सरकार ने मैंग्रोव के संरक्षण के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने मैंग्रोव संरक्षण हेतु समर्पित एक मैंग्रोव प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इसके अलावा, मैंग्रोव आवरण को बढ़ाने तथा अनुसंधान एवं आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस राज्य द्वारा मैंग्रोव एवं समुद्री जैवविविधता संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है।

(ङ) और (च) "तटीय पर्यावासों और सुनिश्चित आय के लिए मैंग्रोव पहल" योजना को मैंग्रोव के अद्वितीय, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पुनर्स्थापित करने और बढ़ावा देने तथा तटीय पर्यावासों की संधारणीयता को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना दिनांक 5 जून 2023 को भारतीय तट पर मैंग्रोव पुनर्वनीकरण/वनीकरण उपायों को अपनाकर "मैंग्रोव वनों का पुनर्वनीकरण" के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सहित नौ तटीय राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,046 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव वनों के पुनर्वनीकरण के लिए गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को कुल 12.55 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

*****

अनुबंध-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैंग्रोव स्थल
1.	पश्चिम बंगाल	1. सुंदरवन
2.	ओडिशा	2. भितरकनिका
		3. महानदी डेल्टा
		4. सुबर्णरेखा
		5. देवी कडुआ मुहाना
		6. धामरा
		7. मैंग्रोव आनुवंशिक संसाधन केंद्र
		8. चिल्का
3.	आंध्र प्रदेश	9. कोरिंगा
		10. कृष्णा
		11. पूर्वी गोदावरी
4.	तमिलनाडु	12. पिचावरम
		13. मुथुपेट
		14. रामनाद
		15. पुलिकट
		16. काज़ुवेली
5.	अंडमान एवं निकोबार	17. उत्तरी अंडमान
		18. निकोबार
6.	केरल	19. वेम्बनाड
		20. कन्नूर
7.	कर्नाटक	21. होन्नावर/दक्षिण कन्नड़
		22. कूंडापुर
		23. कारवार
		24. मैंगलोर वन प्रभाग
8.	गुजरात	25. कच्छ की खाड़ी
		26. खंभात की खाड़ी
		27. डुमास उभरत
9.	गोवा	28. गोवा
10.	महाराष्ट्र	29. अचरा-रत्नागिरि
		30. देवगढ़-विजय दुर्ग
		31. वेलदुर
		32. कुंडलिका-रेवदंडा
		33. मुंब्रा-दिवा
		34. विक्रोली
		35. श्रीवर्धन
		36. वैतरणा
		37. वसई-मनोरी
		38. मालवण

*****